न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 218/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/528
दायर दिनांक :– 26.12.2024 निर्णय दिनांक :– 20.08.2025

1. कानाराम पुत्र पूंजाराम जाति भील निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. पेंपोदेवी पत्नी पोकरराम जाति भील निवासी रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवकता प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित खेत खसरा नम्बर 175 रकबा 2.1529 हैक्टेयर भूमि देवा पुत्र खमीया के नाम की स्थित है। उक्त भूमि ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर के खसरा नम्बर 175 रकबा 2.1529 हैक्टेयर के खातेदार देवा पुत्र खमीया ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि का बसीयतनामा दिनांक 01.04.2010 को वादी के पक्ष में गवाहान के रूबरू अपने संपूर्ण होस हवास में कर दिया था। उक्त वसीयत देवा पुत्र खमीया की अंतिम वसीयत थी। वर्तमान में वसीयत अनुसार ही मौके पर वादी काबिज है और वादी ने उक्त वसीयत से प्राप्त भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखें है और उक्त भूमि के चारों ओर खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है। वसीयतकर्ता देवा पुत्र खमीया फौत हो चुके है। इसलिए वादी ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 175 रकबा 2.1529 हैक्टेयर भूमि में वादी अपने पक्ष में हुई वसीयत अनुसार भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर राजीनामा में बताया कि वादी को ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 175 रकबा 2.1529 हैक्टेयर भूमि के खातेदार देवा पुत्र खमिया ने दिनांक 01.04.2010 को गवाहान के रूबरू वसियत कर दी थी। उक्त भूमि का खातेदार वसियतकर्ता फौत हो चुके है। उनके फौत होने से उक्त वसियत प्रभाव में आ चुकी है।

20/8/25

वसियत अनुसार वादी के नाम भूमि दर्ज की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। देवा पुत्र खमिया के एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है। प्रतिवादी संख्या 1 पेंपोदेवी उक्त वसियत को स्वीकार करती है। वर्तमान में पेंपोदेवी द्वारा देवाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया गया जिमसें मृत्यु दिनांक गलत दर्ज है। देवाराम की मृत्यु वसियत करने के बाद में ही हुई थी। वर्तमान में उक्त भूमि पर वसियतग्रहिता वादी का कब्जा व काश्त है। वसियत अनुसार उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज की जावें। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनाम पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वसियत अनुसार वादी के नाम दर्ज की जावें। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 पूर्ण रूप से सहमत है। राजीनामा पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अगूष्ठ निशान की पहचान दोनों के अधिवक्ता द्वारा की गयी है। वसीयतनामा में अंकित गवाहान ने अपना–अपना शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त वसीयत हमारे रूबरू देवाराम ने कानाराम के पक्ष में की थी वसीयत में हस्ताक्षर भी करवाये गये।

अधिवक्ता उभय पक्ष ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का निरस्तारण माफिक राजीनामा अनुसार किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 175 रकबा 2.1529 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में देवा पुत्र खमिया के नाम दर्ज है। देवा पुत्र खमिया ने दिनांक 01.04.2010 को दो गवाहान के रूबरू उक्त भूमि कानाराम पुत्र पूंजाराम को वसीयत कर दी थी। वसियकर्ता देवा पुत्र खमिया फौत हो चुका है। देवा पुत्र खमिया के एक वारिस पेंपोदवी ही है जो उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 संयोजित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा वसियत अनुसार वादी को खातेदार घोषित किये जाने के तथ्यों का अकंन किया है। वसीयत अनुसार वादग्रस्त भूमि कानाराम पुत्र पूंजाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी उचित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 175 रकबा 2.1529 हैक्टेयर भूमि में वसियतनामा अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. कानाराम पुत्र पूंजाराम जाति भील निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. पेंपोदेवी पत्नी पोकरराम जाति भील निवासी रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 218/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 175 रकबा 2.1529 हैक्टेयर भूमि में वसियतनामा अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.08.2025 को जारी की गई।

20/8/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।